

आर.ई.ओ. - 105



जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर-342 003 फोन नं. 0291 2651227 (म) फॉक्स नं. 2651313
क्रमांक:- प्रनि/जोविनिनिलि/अनु-पीपीएम/पत्रा०सामान्य / प्रो०सं० 1694 जोधपुर, दिनांक 6.9.05


आदेश

विषय :- कृषि कनेक्शन की वरीयता के सम्बन्ध में।

कृषि कनेक्शन नीति-2004 (संशोधित 18.09.2004) के बिन्दु संख्या 6 "ग्रामवार वरीयता" के सम्बन्ध में भारतीय किसान संघ, राजस्थान प्रदेश के द्वारा दिनांक 11.07.2005 को उठाये गये बिन्दुओं के अनुसार मांग की गई कि सामान्य कृषि कनेक्शनों की वरीयता मांग पत्र जमा होने के बाद ग्रामवार के स्थान पर उपखण्डवार रखी जावें।

इस विषय पर समन्वय समिति की 27.07.2005 को आयोजित 8^व वी बैठक में निर्णय लिया गया है कि सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनो की वरीयता मांग पत्र जमा होने के बाद ग्रामवार न रख कर उपखण्डवार रखी जावें।

अतः सामान्य कृषि कनेक्शनों की वरीयता मांग पत्र की राशि जमा होने की तिथि से ग्रामवार के स्थान पर उपखण्डवार रखी जावें जिससे मांग पत्र की राशि जमा होने के बाद उपखण्ड के सभी गाँवों में मांग पत्र जमा के क्रम में कनेक्शन दिये जा सकें।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।


(एच.एस. देवड़ा)
मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।